## NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE EMPLOYMENT EXCHANGE MINUTE

**MINUTE** 

EEM No.1/2010/Pt. I-VII/7.9 ACTION TAKEN

Subject: Registration of job seekers in the Employment Exchanges having certificates/ diploma from unrecognized institutions/ agencies - regarding.

In the NESM, procedure is prescribed for registration of craftsmen/technocrats who obtain diplomas/degrees from government Institutes/recognized Institutes but there is no procedure for dealing with job -seekers who possess diplomas /certificates awarded by the unrecognized institutes. Those job -seekers who possess Diplomas /Certificates awarded by unrecognized institutes or Diplomas /Certificates which are not recognised, face difficulties at the time of registration in some Employment Exchanges in the absence of clear instructions in the matter.

This issue was discussed in the 35th meeting of Working Group on NES held at Hyderabad in detail with participation of various representatives of States/UTs. It was found that in States like Tamil Nadu, Kerala and Delhi, such certificates were being accepted at the time of registration without insisting on their recognition, whereas in some other States, the position was different.

Keeping in view the lower placement through Employment Exchanges in Public Sector, increasing attention towards Private Sector and problems faced by the job-seekers at the time of registration at Employment Exchanges, it was recommended by the Working Group that Certificates/Diplomas from unrecognized institutions(except the fake ones) or Diplomas/Certificates which are not recognized may be accepted for registration at Employment Exchanges and the employing agencies/establishments may decide suitability of such jobseekers at the time of recruitment. Thus, onus for verification/ acceptance of Diplomas/Certificates possessed by jobseekers would lie with the employer at the time of their recruitment. This recommendation was also confirmed in the 36th meeting of Working Group on NES held at Thiruvananthapuram on 15th & 16th February, 2010.

Thus, in this respect, instructions given in Chapter VII and Chapter XI of Vol.I of NESM are clarified to the extent that job -seekers who possess Diplomas /Certificates awarded by unrecognized institutes(except fake ones) or Diplomas /Certificates which are not recognized, will not be denied registration on this account, if otherwise found eligible.

## No.DGE&T-M.27014/1/9/2009-EE.I

Issued by the Directorate General of Employment & Training, Ministry of Labour and Employment, 3/10, Jamnagar House, New Delhi-110011, on 30th September, 2010.

Authorized for issue;

Sub-Regional Employment Officer

## राष्ट्रीय रोजगार सेवा रोजगार कार्यालय कार्यवृत्त

कार्यवृत्त

ईईएम संख्या 1/2010/भाग I-VII/7.9 की गई कार्रवाई

विषय: गैर-मान्यताप्राप्त संस्थानों/एजेंसियों से प्रमाणपत्र/डिप्लोमा घारक रोजगार चाहने वालों के रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के संबंध में।

एनईएसएम में सरकारी संस्थानों/मान्यताप्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने वाले शिल्पकारों/टेक्नोक्रैटों के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया निर्धारित है पर गैर-मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए डिप्लोमा/प्रमाणपत्र धारक रोजगार चाहने वालों से संव्यवहार के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। जिन रोजगार चाहने वालों के पास गैर-मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए डिप्लोमा/प्रमाणपत्र होते हैं या ऐसे डिप्लोमा/प्रमाणपत्र होते हैं जो मान्य नहीं होते, वे मामले मे स्पष्ट निर्देशों की अनुपस्थिति में कुछ रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के समय कठिनाइयों का अनुभव करते हैं।

इस मुद्दे पर हैदराबाद में आयोजित एनईएस पर कार्य समूह की 35वीं बैठक में विस्तार से चर्चा की गई जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह पाया गया कि तिमलनाडु, केरल और दिल्ली जैसे राज्यों में ऐसे प्रमाणपत्र उनकी मान्यता पर जोर दिए बिना पंजीकरण के समय स्वीकार किए जा रहे थे, जबकि कुछ अन्य राज्यों में स्थिति मिन्न थी।

सार्वजिनक क्षेत्र में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कम नियोजन, निजी क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए ध्यान और रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के समय रोजगार चाहने वालों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य समूह द्वारा यह सिफारिश की गई कि गैर-मान्यताप्राप्त संस्थानों (नकली संस्थानों को छोड़कर) के प्रमाणपत्रों/डिप्लोमों या गैर-मान्यताप्राप्त डिप्लोमों/प्रमाणपत्रों को रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के लिए स्वीकार किया जाए और नियोजक एजेंसियां/प्रतिष्ठान मर्ती के समय ऐसे रोजगार चाहने वालों की उपयुक्तता के बारे में निर्णय करें। इस प्रकार रोजगार चाहने वालों द्वारा धारित डिप्लोमों/प्रमाणपत्रों के सत्यापन/स्वीकृति के लिए दायित्व उनकी मर्ती के साम्मान्योक्ता का होगा। एनईएस संबंधी कार्य समूह की 15 और 16 फरवरी, 2010 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित 36वीं बैठक में भी इस सिफारिश की पुष्टि की गई।

इस प्रकार, इस संबंध में, एनईएसएम के खंड 1 के अध्याय 7 और अध्याय 11 में दिए गए निर्देश इस सीमा तक स्पष्ट किए जाते हैं कि जिन रोजगार चाहने वालों के पास गैर-मान्यताप्राप्त संस्थानों (नकली संस्थानों को छोड़कर) द्वारा प्रदान किए जाने वाले डिप्लोमे/प्रमाणपत्र हैं या गैर-मान्यताप्राप्त डिप्लोमे/प्रमाणपत्र हैं, उन्हें इस कारण उस स्थिति में पंजीकरण से वंचित नहीं किया जाएगा जबकि अन्यथा पात्र पाए जाएं।

संख्या डीजीईटी-एम.27014/1/9/2009-ईई.।

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, 3/10 जामनगर हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा 30 सितंम्बर, 2010 को जारी किया गया।

जारी करने के लिए प्राधिकृत:

(जे. कुम<del>ार</del>)

उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी